न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली, जिला–पाली(राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 73/2021 GCMS NO 2021/345
दायरा तिथि : 13.12.2021
आदेश तिथि : 28-6-2022

प्रार्थी :–
मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत
निवासी सेणा तहसील बाली जिला पाली

ब ना म

अप्रार्थी :–
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 बाबत राजकीय भूमि मे से रास्ता उपलब्ध कराने

आदेश दिनांक 28-6-2022

प्रार्थी ने निर्धारित प्ररूप में आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 सपठित नियम 68 प्रस्तुत कर स्वयं की धारित खातेदारी भूमि मौजा सेणा(बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 353 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल मे आवागमन के लिए कोई विकल्प/रास्ता उपलब्ध नही होने से राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा सेणा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 352 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से दर्शित मार्ग से नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ राजस्व अभिलेखो की प्रतियां भी प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संबंध मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 संशोधन अधिनियम, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 के नियमो के नियम–69(i) के अन्तर्गत एवं इस संबंध मे राज्य सरकार राजस्थान राजस्व (ग्रुप–6) की अधिसूचना क्रमांक : F.3(2)Rev.6/ 03/ pt/ 7 Jaipur Dated : 02-03-2012 द्वारा प्रदत्त निर्देशो के अनुसरण मे तहसीलदार बाली को मौका एवं अभिलेखीय स्थिति की जांच कर सम्पूर्ण स्थिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तहसीलदार बाली एवं भू.अ. निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/1019 दिनांक 11.04.2022 से रेकर्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट पेश की। तहसीलदार, बाली की जांच रिपोर्ट अनुसार :–

1. ग्राम बिसलपुर तहसील बाली के खसरा नंबर 353 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल की भूमि प्रार्थी मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा तहसील बाली के नाम से खातेदारी की दर्ज हैं। खातेदार की धारित खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य विकल्प नहीं हैं।
2. रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का खसरावार विवरण निम्नानूसार है :–

क्र. स.	खसरा नंबर	रकबा	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षैत्रफल	नाम खातेदार
1	352	0.25 हैक्टर	गै.मु. मगरी	58 X 7 = 416 वर्गमीटर (0.0416 हैक्टर)	राजकीय सिवाय चक भूमि

3. प्रस्तावित भूमि ग्राम सेणा(बाहरी क्षेत्र) की डी.एल.सी.दर 89730/– रूपये प्रति हैक्टर है।
4. प्रस्तावित रास्ते की भूमि मे कोई भी वृक्ष या पक्का निर्माण इत्यादि नही है। अतः अन्य कोई भी क्षति नही होगी तथा प्रस्तावित रास्ते के क्षैत्रफल मे से अन्य क्षति यथा वृक्ष, पक्का निर्माण कार्य इत्यादि नही है।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर प्रार्थीगण की मांग अनुसार रास्ता दिये जाने बाबत अनुशंषा की गई। तहसीलदार, बाली से रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण मे वकील प्रार्थी श्री जोगेन्द्रसिंह चौहान व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेज लगातार—2

Scanned with CamScanner

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 73/2021 GCMS NO 2021/345

अनवान मनोहरसिंह बनाम राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात जाहिर हैं कि प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये वर्तमान में कोई रेकर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं। अतः तहसीलदार बाली के कार्यालय तहसीलदार बाली एवं भू.अ.निरीक्षक, बिसलपुर ने जरिये पत्रांक : राजस्व/2022/1019 दिनांक 11.04.2022 के अनुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 संशोधन, 2012 सपठित राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) संशोधन नियम, 2012 तथा राज्य सरकार राजस्व (ग्रुप–6) के परिपत्र क्रमांक :प.3(52)राज–6/12/4 जयपुर दिनांक 14.06.2013 के द्वारा प्रदत्त निर्देशो/शक्तियो के अनुसरण मे प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा सेणा(बाहरी क्षेत्र) तहसील बाली के खसरा नंबर 353 रकबा 0.2400 हैक्टर किस्म बारानी अव्वल में आवागमन हेतु राजकीय सिवाय चक भूमि मौजा सेणा(बाहरी क्षेत्र) के खसरा नंबर 352 रकबा 0.25 हैक्टर किस्म गै.मु.मगरी मे से **58 X 7 = 416** वर्गमीटर रास्ता नियमो के नियम 70 (i)(ख) के अन्तर्गत राज्य सरकार को देय प्रतिकर राशि का निर्धारण करते हुए तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत नक्शा मौका के अनुरूप उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किये जाने से पूर्व तहसीलदार, बाली देय प्रतिकर राशि को जमा करावे। प्रतिकर राशि नियमानुसार निर्धारण की जाती है :–

नाम ग्राम	ख.न.	कुल क्षैत्रफल (हैक्टर)	किस्म	रास्ते के लिए प्रभावित क्षैत्रफल	डीएलसी दर 89730/– रूपये प्रति हैक्टर की दर से (प्रति व.मी.)	वसूल देय प्रतिकर राशि(डीएलसी दर की दुगुनी)
सेणा (बाहरी क्षेत्र)	352	0.25 हैक्टर	गै.मु. मगरी	58 X 7 = 416 वर्गमीटर (0.0416 हैक्टर)	8.973 रूपये प्रति व.मी	**7465.54**

प्रस्तावित रास्ता में अन्य कोई क्षति यथा निर्माण/वृक्ष संरचना कारित नही होने से उक्तानुसार **7465.54 पुर्णांकं 7466/– (अक्षरे सात हजार चार सौ चासठ रूपये मात्र)** रूपये आवेदक द्वारा बतौर प्रतिकर राज्य कोष मे जमा कराये जावेंगे। तहसीलदार, बाली प्रतिकर राशि अदायगी की सुनिश्चितता कर उक्त प्रस्तावित भूमि राजस्व रेकार्ड में बतौर **राजकीय सिवाय चक गै.मु. रास्ता** दर्ज करेंगे।

तहसीलदार, बाली उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चितता कर राजस्व रेकार्ड मे अमल दरामद के साथ नक्शा मे तरमीम कर पालना प्रस्तुत करे। आदेश की प्रति संबंधित को पालनार्थ भिजवायी जावे। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(सुश्री धायगुडे स्नेहल नाना)
आई.ए.एस.
पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली

पत्रांक : कोर्ट/2022/2215-19 दिनांक : 28-06-22

प्रतिलिपि पालनार्थ :–

1. तहसीलदार बाली
2. भू.अ.निरीक्षक बिसलपुर
3. पटवारी हल्का सेणा
4. तहसील राजस्व लेखाकार तहसील बाली
5. आवेदक श्री मनोहरसिंह पुत्र अर्जुनसिंह जाति राजपूत निवासी सेणा को सूचनार्थ प्रेषित हैं।

(पदेन सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बाली)

Scanned with CamScanner